संख्या–1192/38–7–2007–42एनआरईजीए/07

प्रेषक,

देवेन्द्र चौधरी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊ: दिनांक : 09 अगस्त, 2007

विषयः ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को देय मजदूरी का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1779(1)/38–4–2000, दिनांक 16 सितम्बर, 2000 एवं शासनादेश सं0–624/38–7–2007/एनआरईजीए/07, दिनांक 23 मई, 2007 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या–1518/36–3–2007–1 (एम0डब्ल्यू0)/05, दिनांक 01 अगस्त, 2007 द्वारा कृषि नियोजन में नियोजित श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की गयी हैं। तत्क्रम में प्रदेश में संचालित योजनाओं यथा–राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं अन्य ~~आदि~~ ग्रामीण श्रमपरक रोजगार योजनाओं के अन्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी का भुगतान सम्पूर्ण प्रदेश के लिए रू0 100.00 (रूपये सौ मात्र) प्रतिदिन की दर पर किया जायेगा।

2– मजदूरी की उक्त दर दिनांक 01 अगस्त, 2007 से प्रभावी है।

3– योजनान्तर्गत अनुमन्य मजदूरी का भुगतान नियमित रूप से ग्राम्य विकास विभाग एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4– कृपया उक्त सूचना समस्त सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को देते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(देवेन्द्र चौधरी)
प्रमुख सचिव।

C:\DINESH\...\07.doc